कार्यकारी सार

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट इसके कार्यों और संगठनात्मक ढांचे के साथ मंत्रालय के विजन, उद्देश्य और लक्ष्यों के सिंहावलोकन के साथ शुरू होता है। (अध्याय–।)

इस दस्तावेज का द्वितीय अध्याय वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक आउटपुट और बजटीय परिणामों से संबंधित है । यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय परिव्ययों/आईईबीआर घटक को भी स्पष्ट करता है । 2015–16 में परिणामों पर तथा 2016–17 में मात्रात्मक उत्पादन के संबंध में संभावित परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक विश्लेषणात्मक घटक बनाया गया है । स्त्री – पुरूष के आंकड़े एकत्रित करना संभव नहीं हो पाया है जैसा कि कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में है, डिलिवरी प्वाइंट अलग नहीं है।

तृतीय अध्याय हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण सुधार संबंधी उपायों और नीतिगत पहलकदमियों से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा भूमिगत खनन में वृद्धि करने हेतु नवीकृत नीतिगत बल तथा प्रतिबद्धता, अतिरिक्त कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान; चालू परियोजनाओं को पूरा करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार; कोयला नियंत्रक संगठन में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण; खानों के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी विकास; झरिया और रानीगंज कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना।
- इसके अलावा, सीआईएल तथा राज्य विद्युत अभिकरणों के बीच विवादों का समाधान निकालने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (एडीआरएम) फोरम की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है; कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाया गया है; नीलामी के माध्यम से नियंत्रण मुक्त क्षेत्र को लिंकेज का आबंटन सुनिश्चित किया गया है, ई– नीलामी तथा तृतीय पक्ष की नमूना क्रियाविधियों को संशोधित किया गया है और केप्टिव कोयला ब्लॉकों के विकास की निगरानी पर विशेष बल दिया जा रहा है।

चौथे अध्याय में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में वृद्धि के विश्लेषणों के संबंध में पूर्व निष्पादन की समीक्षा की गई है और 100 करोड़ रूपए और इससे अधिक की लागत से चल रही परियोजनाओं की कंपनी तथा परियोजना–वार स्थिति दी गई है।

पांचवे अध्याय में बजट अनुमानों /संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में समग्र रूझान की समीक्षा की गई है।

छठे और अंतिम अध्याय में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कार्य निष्पादन की संक्षिप्त और व्यापक रूप से समीक्षा की गई है। इस अध्याय में भी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों को दिया गया है।